

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 537 सन 2021

अनवान :-

1. महेन्द्रसिंह पुत्र चुसीदेवी पत्नी रामेश्वरलाल जाति नाई निवासी भगवान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. रामीदेवी पुत्री चुसीदेवी पत्नी रामेश्वरलाल जाति नाई निवासी भगवान तहसील नोहर।
2. कलावती पुत्री चुसीदेवी पत्नी रामेश्वरलाल जाति नाई निवासी भगवान तहसील नोहर।
3. कृष्णादेवी पुत्री चुसीदेवी पत्नी रामेश्वरलाल जाति नाई निवासी भगवान तहसील नोहर।
4. मंजु पुत्री चुसीदेवी पत्नी रामेश्वरलाल जाति नाई निवासी भगवान तहसील नोहर।
5. शारदादेवी पुत्री चुसीदेवी पत्नी रामेश्वरलाल जाति नाई निवासी भगवान तहसील नोहर।
6. सीमादेवी पुत्री चुसीदेवी पत्नी रामेश्वरलाल जाति नाई निवासी भगवान तहसील नोहर।
7. भगवन्ती पुत्री चुसीदेवी पत्नी रामेश्वरलाल जाति नाई निवासी भगवान तहसील नोहर।
8. सुमन पुत्री चुसीदेवी पत्नी रामेश्वरलाल जाति नाई निवासी भगवान तहसील नोहर।
9. सन्तोष पुत्री चुसीदेवी पत्नी रामेश्वरलाल जाति नाई निवासी भगवान तहसील नोहर।
10. पवन कुमार पुत्र चुसीदेवी पत्नी रामेश्वरलाल जाति नाई निवासी भगवान तहसील नोहर।
11. वकील पुत्र चुसीदेवी पत्नी रामेश्वरलाल जाति नाई निवासी भगवान तहसील नोहर।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री महेश चन्द्र शर्मा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 27.11.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा भगवान के खाता संख्या 47 की कुल 16.7940 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में चुसीदेवी पत्नी रामेश्वरलाल के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में चुसीदेवी पत्नी रामेश्वरलाल के नाम से दर्ज है जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 की माता है चुसीदेवी पत्नी रामेश्वरलाल को देहान्त हो चुका है चुसीदेवी पत्नी रामेश्वरलाल के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 है जो चुसीदेवी पत्नी रामेश्वरलाल के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी हे अर्थात चुसीदेवी पत्नी रामेश्वरलाल के नाम दर्ज भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 विरास्तन से पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 वादी की बहने है एवं चुसीदेवी पत्नी रामेश्वरलाल की पुत्री है प्रतिवादी संख्या ता 9 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 10 ,11 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 10 ,11 का बराबर का हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की चुसीदेवी पत्नी रामेश्वरलाल के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 10 ,11 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में चुसीदेवी पत्नी रामेश्वरलाल के नाम से दर्ज है जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 की माता है चुसीदेवी पत्नी रामेश्वरलाल को देहान्त हो चुका है चुसीदेवी पत्नी रामेश्वरलाल के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 है जो चुसीदेवी पत्नी रामेश्वरलाल के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी हे तथा प्रतिवादी संख्या ता 9 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 10 ,11 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 10 ,11 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

एवं प्रतिवादी संख्या 10, 11 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान - वर्ष -2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है तथा अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायायिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा भगवान के खाता संख्या 47 की कुल 16.7940 हैक्ठुम भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में चुसीदेवी पत्नी रामेश्वरलाल के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में चुसीदेवी पत्नी रामेश्वरलाल के नाम से दर्ज है जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 की माता है चुसीदेवी पत्नी रामेश्वरलाल को देहान्त हो चुका है चुसीदेवी पत्नी रामेश्वरलाल के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 है जो चुसीदेवी पत्नी रामेश्वरलाल के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी हे वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 10, 11 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चरपा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा भगवान के खाता संख्या 47 की कुल 16.7940 हैक्ठुम भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में चुसीदेवी पत्नी रामेश्वरलाल के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 10, 11 को बहिब का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ़)

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021
कैम्प कोर्ट...देईदास

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. महेन्द्रसिंह पुत्र चुसीदेवी पत्नी रामेश्वरलाल जाति नाई निवासी भगवान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. रामीदेवी पुत्री चुसीदेवी पत्नी रामेश्वरलाल जाति नाई निवासी भगवान तहसील नोहर।
2. कलावती पुत्री चुसीदेवी पत्नी रामेश्वरलाल जाति नाई निवासी भगवान तहसील नोहर।
3. कृष्णादेवी पुत्री चुसीदेवी पत्नी रामेश्वरलाल जाति नाई निवासी भगवान तहसील नोहर।
4. मंजु पुत्री चुसीदेवी पत्नी रामेश्वरलाल जाति नाई निवासी भगवान तहसील नोहर।
5. शारदादेवी पुत्री चुसीदेवी पत्नी रामेश्वरलाल जाति नाई निवासी भगवान तहसील नोहर।
6. सीमादेवी पुत्री चुसीदेवी पत्नी रामेश्वरलाल जाति नाई निवासी भगवान तहसील नोहर।
7. भगवन्ती पुत्री चुसीदेवी पत्नी रामेश्वरलाल जाति नाई निवासी भगवान तहसील नोहर।
8. सुमन पुत्री चुसीदेवी पत्नी रामेश्वरलाल जाति नाई निवासी भगवान तहसील नोहर।
9. सन्तोष पुत्री चुसीदेवी पत्नी रामेश्वरलाल जाति नाई निवासी भगवान तहसील नोहर।
10. पवन कुमार पुत्र चुसीदेवी पत्नी रामेश्वरलाल जाति नाई निवासी भगवान तहसील नोहर।
11. वकील पुत्र चुसीदेवी पत्नी रामेश्वरलाल जाति नाई निवासी भगवान तहसील नोहर।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 537 सन 2021 निर्णय दिनांक- 27.11.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव क संग अभियान वर्ष - 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा भगवान के खाता संख्या 47 की कुल 16.7940 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में चुसीदेवी पत्नी रामेश्वरलाल के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 10 ,11 को बहिब का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 27.11.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021
कैम्प कोर्ट....देईदास